निबंधित

संचिका संख्या:03 / स्था0–18(विविध)–55 / 2019

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग।

प्रेषक,

मो0 रसूल मियाँ,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (यॉंत्रिक परिक्षेत्र छोड़कर),
जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

पटना , दिनांक–

विषयः— अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों को समूह 'घ' के रिक्ति पदों पर समायोजित करने हेतु रिक्ति की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः— विभागीय पत्रांक–2855 दिनांक–21.12.2018, पत्रांक–272 दिनांक–01.02.2019 तथा पत्रांक–1645 दिनांक–26.08.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक विभागीय पत्रों के माध्यम से आपके परिक्षेत्राधीन कार्यालय में सभी प्रकार के समूह 'घ' के रिक्त पदों की सूचना आरक्षण नियमावली के आलोक में रोस्टर क्लियरेंस कराकर संलग्न प्रपत्र मे एक सप्ताह के अन्दर विभाग को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था। जिसके आलोक में मात्र डिहरी परिक्षेत्र से प्रतिवेदन प्राप्त है।

उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग, बिहार के पत्रांक–2056 दिनांक–06.09.2019 के साथ मुख्य सचिव, बिहार का पत्रांक–1998 दिनांक–03.09.2019 तथा एक नया प्रपत्र (रिक्ति प्रतिवेदन) संलग्न करते हुए दिनांक–12.09.2019 को अपराहन 4:30 बजे आहूत बैठक मे विभाग के स्थापना के प्रभारी पदाधिकारी को रिक्ति विवरणी के साथ भाग लेने हेतु निदेश प्राप्त हुआ (छायाप्रति संलग्न)।

उक्त के आलोक में अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–03 बैठक में भाग लिये, जिसमें विहित प्रपत्र में रिक्ति विवरणी उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया।

अतएव अनुरोध है कि उक्त संलग्न विहित प्रपत्र मे समूह 'घ' के पदों की रिक्ति विवरणी आरक्षण रोस्टर के अनुसार (डिहरी परिक्षेत्र सहित) एक सप्ताह के अन्दर दो प्रतियों में उपलब्ध कराया जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0 / –

(मो0 रसूल मियाँ)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–03 / स्था0–18(विविध)–55 / 2019 1823 पटना,दिनांक– 19.9.19

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनु0–यथोक्त।

18/9/19

(मो0 रसूल मियाँ)
सरकार के अवर सचिव
18/9/19

105

अति महत्वपूर्ण

पत्रांक–13 / न्याय 05–212 / 2017......2056........ /

बिहार सरकार,

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

आर० के० महाजन (भा०प्र०से०),
अपर मुख्य सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव।
सभी विभाग के विभागाध्यक्ष / निदेशक।

पटना, दिनांक–....06/09/19............ /

विषय :– अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों के समायोजन हेतु आपके विभाग में समूह–'घ' के उपलब्ध रिक्त पदों की विवरणी के साथ अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 12.09.2019 को अपराह्न 4.30 बजे मुख्य सचिवालय के सभागार में आहूत बैठक में भाग लेने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों के समायोजन हेतु आपके नियंत्रणाधीन विभाग में उपलब्ध समूह–'घ' की रिक्ति विवरणी प्रतिवेदित करने के लिए मुख्य सचिव / अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग एवं अधोहस्ताक्षरी के स्तर से कई बार पत्र द्वारा अनुरोध किया गया है। परन्तु इसके अनुपालन में कुछ विभागों को छोड़कर अधिकांश से अपेक्षित रिक्ति विवरणी प्राप्त नहीं हुई है।

अनुदेशक समायोजन से संबंधित अवमाननावाद संख्या–54 / 2013 एवं संलग्न 61 अन्य अवमाननावाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के डिविजन बेंच द्वारा दिनांक 22.08.2019 को पारित आदेश के अनुसार सभी विभागाध्यक्षों को प्रत्येक माह अपने नियंत्रणाधीन कार्यालय में समूह–'घ' की उपलब्ध रिक्तियों का विवरण शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराना है। इस हेतु मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक–1998 दिनांक 03.09.2019 (प्रति संलग्न) के द्वारा आपको आवश्यक निदेश दिये गये हैं।

उपर्युक्त के क्रम में मुख्य सचिव के निदेशानुसार अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में मुख्य सचिवालय के सभागार में दिनांक 12.09.2019 को अपराह्न 4.30 बजे बैठक आहूत की गई है। निर्धारित तिथि को आहूत बैठक में संलग्न विहित प्रपत्र में अपने नियंत्रणाधीन कार्यालय के समूह–'घ' की उपलब्ध रिक्ति विवरणी के साथ अपने विभाग के स्थापना के प्रभारी पदाधिकारी को भाग लेने हेतु निदेशित करने की कृपा की जाए। कृपया इसे अतिआवश्यक समझा जाए।

अनु०:– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

6/9/19

(आर० के० महाजन)
अपर मुख्य सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

3033
12.9.19

दीपक कुमार, भा०प्र०से०
मुख्य सचिव
Deepak Kumar, I.A.S.
Chief Secretary

बिहार सरकार

बिहार सरकार
मुख्य सचिवालय, पटना - 800 015
GOVERNMENT OF BIHAR
Main Secretariat, Patna - 800 015
Tel.: 0612-2215804, Fax : 0612-2217085
E-mail : cs-bihar@nic.in

104

पत्रांकः–13/न्याय–05–212/2017......1998...../ (शिक्षा)

सेवा में,

सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभाग के विभागाध्यक्ष/निदेशक।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 03/09/19/

विषयः— माननीय उच्च न्यायालय, पटना के डिवीजन बेंच द्वारा अवमाननावाद संख्या 54/2013 के साथ संलग्न 61 अन्य अवमाननावादों में दिनांक 22.08.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों को समूह 'घ' के रिक्त पदों पर समायोजित करने हेतु रिक्ति की सूचना विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

अनुदेशकों के समायोजन से संबंधित अवमाननावाद संख्या 54/2013 एवं संलग्न 61 अन्य अवमाननावादों की सुनवाई दिनांक 22.08.2019 (प्रति संलग्न) को करते हुये माननीय उच्च न्यायालय, पटना के डिवीजन बेंच द्वारा प्रतीक्षा सूची में रखे गये अनुदेशकों के समायोजन के लिये समय सीमा तय कर दी है। इसके क्रियान्वयन के लिये माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किया गया है कि सभी विभागीय प्रधान एवं जिला अधिकारी अपने नियंत्रणाधीन कार्यालय में उपलब्ध रिक्तियों का विवरण प्रत्येक माह के अंत तक उपलब्ध करायें और जन शिक्षा निदेशालय, शिक्षा विभाग प्रतिवेदित रिक्तियों के विरुद्ध **रिक्ति प्राप्ति के एक माह के अंदर समायोजन की कार्रवाई करे। स्पष्ट है कि समायोजन में भी सभी विभागों को समय–सीमा में बांध दिया गया है।** रिक्ति प्रतिवेदन में अगले दो तीन माह में सेवानिवृति से रिक्त होनेवाले पदों का विवरण भी दिया जाना है। माननीय न्यायालय ने इस प्रक्रिया के अनुश्रवण की जिम्मेदारी अधोहस्ताक्षरी को दी है। इस परिस्थिति एवं माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में एक प्रपत्र संलग्न करते हुये निदेश दिया जाता है कि हर माह के अंतिम तिथि तक विहित प्रपत्र में रिक्तियाँ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संकल्प संख्या 945 दिनांक 27.04.2017 के अनुसार अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशको को समूह 'घ' के रिक्त पदों पर समायोजित किये जाने के लिये आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करते हुये रिक्ति विवरणी उपलब्ध कराने हेतु अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक 2323 दिनांक 08.09.2017, पत्रांक 299 दिनांक 07.02.2018, पत्रांक 1005 दिनांक 10.05.2018, पत्रांक 2876 दिनांक 29.11.2018, पत्रांक 1644 दिनाक 16.07.2019 एवं पत्रांक 1956–57 दिनांक 27.08.2019 तथा अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के पत्रांक 1992 दिनांक 04.09.2018 एवं पत्रांक 83 दिनांक 17.01.2019 के साथ–साथ अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्राक 190 दिनांक 29.01.2019 के द्वारा भी आपको निदेशित किया गया है, परंतु कुछ विभागो एवं जिला पदाधिकारियों को छोड़कर अधिकांश के स्तर से रिक्ति प्रतिवेदन अभी तक अप्राप्त है। यह स्थिति खेदजनक है।

वर्णित स्थिति में अनुरोध है कि मामले में व्यक्तिगत ध्यान देते हुये अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशको के शीघ्र समायोजन हेतु आरक्षण रोस्टर के अनुसार अपने नियंत्रणाधीन कार्यालयों में प्रत्येक माह रिक्त हुये समूह 'घ' के पदो की विवरणी विहित प्रपत्र में निदेशक, जन शिक्षा- सह– अपर सचिव, जन शिक्षा निदेशालय, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को यथाशीध्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसे अति आवश्यक समझा जाए।

अनु0 : माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 22.08.2019 को
पारित आदेश एवं विहित प्रपत्र

विश्वासभाजन,

Deepak

(दीपक कुमार)

516 / 103

प्रपत्र– (रिक्ति प्रतिवेदन)

विभाग / जिला कार्यालय का नाम ....

दिनांक ....

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम / विवरण	समूह 'घ' कोटि के कुल स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत कर्मियों की संख्या	रिक्ति	प्रतिवेदित रिक्ति का आरक्षण कोटिवार विवरण	रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सक्षम प्राधिकार का पदनाम	अगामी 02–03 माह में सेवानिवृत होने वाले कर्मियों की संख्या एवं इनके संभावित आरक्षण कोटि का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							

सक्षम प्राधिकार का हस्ताक्षर एवं पदनाम